

चण्डीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड
द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ

1). छात्रवृत्ति योजना :- कर्मचारी के बच्चों के प्रोत्साहन हेतु परीक्षा के अंको के आधार पर मात्र एक बार छात्रवृत्ति दिया जाएगा, जो कि निम्नलिखित है :-

कक्षा	प्रतिशत	स्कालरशिप राशि
a) दसवी	75 % और अधिक	5000/-
	60 % और अधिक	4000/-
	50 % और अधिक	3000/-
b) बारहवी 10+2	75 % और अधिक	5000/-
	60 % और अधिक	4000/-
	50 % और अधिक	3000/-
c) स्नातकर (Graduation) अथवा उसके बराबर	60 % और अधिक	7500/- (one time)

2). कन्यादान :- कर्मचारी की बेटी तथा कार्यरत महिला की स्वयं की शादी हेतु, विवाह के पूर्व 21000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3). निम्नलिखित उपकरणों को खरीदने हेतु, कर्मचारी को आर्थिक सहायता :-

- a) नकली दन्त सेट लगाने हेतु- 5000/-
- b) ऐनक/चश्मा खरीदने हेतु- 1500/-
- c) ध्वनि यन्त्र खरीदने हेतु- 4000/-

3). मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता :- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 50,000/- अथवा पूर्ण रूप से हो जाने पर 25000/- तथा आंशिक रूप से हो जाने पर 15000/- की सहायता प्रदान की जाएगी।

कर्मचारी की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु ₹ 5000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- 5). मातृत्व लाभ :- महिला कर्मचारी तथा पुरुष कर्मचारी की पत्नियों को दो बच्चों तक की प्रसूति हेतु 5100/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 6). विधवा पेंशन :- 1000/- प्रति माह
- 7). ब्याज मुक्त ऋण :- निम्नलिखित वस्तुएं खरीदने हेतु :
- | | |
|----------------------|---------|
| मोटर साईकल / स्कूटर | 25000/- |
| फ्रिज | 15000/- |
| एल. सी. डी./टेलीविजन | 15000/- |
| कूलर | 7500/- |
| पंखा | 2500/- |
| साईकल | 4000/- |
- 8). अपंग कर्मचारी अथवा उनके आश्रितों को ट्राई साईकल हेतु सहायता
- 9). महिला कर्मचारी अथवा पुरुष कर्मचारी की पत्नि को घरेलू उपयोग हेतु सिलाई मशीन खरीदने हेतु 3500/- की वित्तीय सहायता।
- 10). अधिक जानकारी के लिए पंजीकृत अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त चण्डीगढ़, श्रम कल्याण भवन, सेक्टर- 30 बी, चण्डीगढ़ में सम्पर्क करें।

नियम व शर्तें लागू :

कर्मचारी चण्डीगढ़ की औद्योगिक व कमीर्शियल संस्थाओं में कार्यरत हो, अथवा श्रम कल्याण बोर्ड में उसकी अंशदान राशि जमा होती हो।

किसी भी योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारी की सेवा अवधि 6 महीने हो।

जो कर्मचारी ESIC में आते हो, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।